

① NOC as well as Recognised code No.RNC/17-18/09 was given vide No.-RNC/449/14-13/780,
Date-25-12- 2017by District Education Suprintenden of Ranchi Jharkhand.

प्रपत्र-2
जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय
राँची।

संख्यांक : RNC/449/14-13/780

तारीख : 29.09.2018

सेवा में,

प्रबंधक / अध्यक्ष,
छोटानागपुर पब्लिक स्कूल बुटी रोड,
झारखण्ड, राँची।

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011, के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक-26.12.2017 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं छोटानागपुर पब्लिक स्कूल बुटी रोड, झारखण्ड, राँची को शैक्षणिक सत्र-2016-17 से कक्षा-1 से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाधता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कंपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

Principal
Chhotanagpur Public School
Opp. P.H.E.D. Office, Booty Road
Ranchi-834009

Manager/Principal
Chhotanagpur Public School
Opp. P.H.E.D. Office, Booty Road,
Village- Gari, Ranchi-834009

(2)

7. विद्यालय निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :-

I प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

II किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।

III प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

IV प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

V अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

VI अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जाएगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।

VII अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्धियों को बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नासुसार हैं :-

I विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-77.31 डीसमिल

II कुल निर्मित क्षेत्रफल-34.22 डीसमिल

III क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल-43 डीसमिल

IV कक्षाओं की संख्या-22 डीसमिल

V प्रध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष-04

VI बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-19 (बालक-10 एवं बालिका-09)

VII पेयजल सुविधा- उपलब्ध है।

VIII मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)- लागू नहीं है।

IX बाधारहित पहुँच- है।

X अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है।

भारतनागपुर पब्लिक स्कूल
रती रोड गरी

Principal
Chhotanagpur Public School
P.H.E.D. Office, Booty Road
Gari, Ranchi-834009
Manager/Principal
Chhotanagpur Public School
Opp. P.H.E.D. Office, Booty Road,
Village- Gari, Ranchi-834009

(3)

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजन के लिए किया जाएगा।

13. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या सत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-RNC/2017-18-09 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी प्रचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाए।

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
मोडल पदाधिकारी ऑर.टी.ई.
राँची जिला

28/07/2024
जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

Principal
Chhotanagpur Public School
Opp. P.H.E.D. Office, Booty Road,
Village- Gari, Ranchi-834009

Principal
Chhotanagpur Public School
Opp. P.H.E.D. Office, Booty Road
Vill. Gari, Ranchi-834009

Chhotanagpur Public School
Vill. Gari, Ranchi-834009